रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2003/चैत्र 14, 1925
No. 318] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2003/CHAITRA 14, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2003

का. आ. 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 93(अ) तारीख 29 जनवरी, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6क) श्रीमती किरण धींगरा, संयुक्त सचिव
टैक्सटाइल मंत्रालय,
भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 —सदस्य।"

[फा. सं. क्यू.-18011/14/90-सीपीए(खंड XI)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण का.आ. 93(अ) दिनांक 29 जनवरी 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए तत्पश्चात् का.आ. 68(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2000, का.आ. 108(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2002 तथा का.आ. 99(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 2003

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E) dated the 29th January, 1998, namely :—

In the said order, in paragraph 1, after serial number (6) and the entries relating thereto, following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"(6A) Smt. Kiran Dhingra, Joint Secretary,
Ministry of Textiles, Government of India,
Udyog Bhawan, New Delhi-110011 —Member."

[F. No. Q-18011/14/90-CPA(Vol. XI)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India vide number S.O. 93(E) dated the 29th January, 1998, amended vide S.O. 68(E), dated the 25th January, 2000, S.O. 108(E) dated the 25th January, 2002 and S.O. 99(E) dated 28th January, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.